

## संशोधित-आदेश

जालोर जिले के ग्राम मोहीवाड़ा, तहसील आहोर में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं COVID-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब ग्राम मोहीवाड़ा, तहसील आहोर की राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि./2020/4654 दिनांक 13.05.2020 से ग्राम मोहीवाड़ा, तहसील आहोर की राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी की गई।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम मोहीवाड़ा, तहसील आहोर की राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के स्थान पर ग्राम मोहीवाड़ा के वार्ड सं. 1 पुरोहितो की गली, जोगसिंह के घर से मांगीलाल जी के घर तक तथा वादियों की गली, ताराराम वादी के घर से वेलाराम चौधरी के घर तक एवं वार्ड सं. 2 बगों की गली, मोटराम चौधरी के घर से लखमाराम चौधरी के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राजस्व ग्राम की शेष सीमा क्षेत्र (बफर जोन) के भीतर आवश्यक सेवाएं यथा दवाईयों की दुकाने, किराणा स्टोर, फल व सब्जियों की दुकाने, दुध की डेयरी, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमत सभी गतिविधियों/व्यावसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। उक्त आदेश दिनांक 09.06.2020 से प्रभावी होगा।

शेष आदेश की पूर्ववत शर्तें यथावत रहेंगी।

(हिमांशु गुप्ता)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

जालोर

दिनांक: 09.06.2020

क्रमांक/विधि./2020/

8397 - 8491

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.....।
5. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
6. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर/सांचोर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त।
12. तहसीलदार, समस्त।
13. विकास अधिकारी, समस्त।
14. आयुक्त नगर परिषद, जालोर।
15. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल/सांचोर।
16. उप पुलिस अधीक्षक जालोर/भीनमाल/सांचोर/रानीवाडा।
17. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापाक प्रचार-प्रसार हेतु।
18. ACP (उपनिदेशक) DOIT, जालोर को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
19. थाना अधिकारी, पुलिस थाना.....।
20. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
21. आदेश पत्रावली

अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अति. जिला मजिस्ट्रेट  
जालोर

## संशोधित-आदेश

जालोर जिले के ग्राम कोटड़ा, तहसील आहोर मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से सक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं COVID-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब ग्राम कोटड़ा, तहसील आहोर की राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2020/5159 दिनांक 15.05.2020 से ग्राम कोटड़ा, तहसील आहोर की राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी की गई।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम कोटड़ा, तहसील आहोर की राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के स्थान पर ग्राम कोटड़ा के वार्ड सं. 9 में चौधरियों एवं घांचियों की गली में हनुमान मन्दिर से लेकर चम्पालाल जी दमामी के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राजस्व ग्राम की शेष सीमा क्षेत्र (बफर जोन) के भीतर आवश्यक सेवाएं यथा दवाईयों की दुकाने, किराणा स्टोर, फल व सब्जियों की दुकाने, दुध की डेयरी, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमत सभी गतिविधियां/ व्यावसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। उक्त आदेश दिनांक 09.06.2020 से प्रभावी होगा।

शेष आदेश की पूर्ववत शर्तें यथावत रहेंगी।



क्रमांक/विधि/2020/ 8303-96 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.....।
5. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
6. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर/सांचोर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त।
12. तहसीलदार, समस्त।
13. विकास अधिकारी, समस्त।
14. आयुक्त नगर परिषद, जालोर।
15. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल/सांचौर।
16. उप पुलिस अधीक्षक जालोर/भीनमाल/सांचोर/रानीवाडा।
17. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापाक प्रचार-प्रसार हेतु।
18. ACP (उपनिदेशक) DOIT, जालोर को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
19. थाना अधिकारी, पुलिस थाना.....।
20. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
21. आदेश पत्रावली

(हिमांशु गुप्ता) 09/06  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जालोर  
दिनांक: 09.06.2020

अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जालोर